प्रारूप - 30

(41)

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No.........   Dated.........

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act,2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that **0.4050** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Work Department Uttarakhand** for New **Road Construction in Dehradun** district falls within jurisdiction of **Ghore ki dandi** Village in **Viksasnagar tehsil.**

It is further certificated that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **0.4050** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....

(b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

आरूप - 30.1

(42)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – DEHRADUN (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravi Shankar , I.A.S. District Magistrate on Dated 20-11-19 at 12 PM at Dehradun in which the application claiming rights in Mail area measuring **0.4050 Hect** for the Construction of Motor Road from **Rajender singh Shop, KM-3 of Tauli Bhood to Ghori Ki Dandi upto Puran singh house** under State scheme of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of **Kalsi** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:

Dated:

DistrictMagistrate
District level Committee

(प्रपत्र-)

कार्य का नाम :– मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूड़ किमी0 3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पुर्ण सिंह के घर धोरे की डांडी तक पी0सी0 द्वारा सडक मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण

(लम्बाई– 950 मीटर)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या–165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूड किमी0 3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पुर्ण सिंह के घर धोरे की डांडी तक पी0सी0 द्वारा सडक मार्ग निर्माण हेतु कुल 0.4050 है0 वन भूमि प्रस्तावित है। जिसमें आरक्षित वन भूमि 0.4050 है0, वन पंचायत भमि 0.00 है0 एवं सिविल भूमि 0.00 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05/02/2006 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, आं0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।

जिलाधिकारी
देहरादून

प्रपत्र–

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूड किमी0 3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पुर्ण सिंह के घर घोरे की डांडी तक पी0सी0 द्वारा सडक मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण

(लम्बाई–950 मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूड किमी0 3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पुर्ण सिंह के घर घोरे की डांडी तक पी0सी0 द्वारा सडक** मार्ग के नवनिर्माण हेतु **0.4050 है0** वनभूमि लोक निर्माण विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिनियम–2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

ह0..................................

जिलाधिकारी, देहरादून

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांकः–   दिनांकः–

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतुं गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 20.11.19 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में मा0 मुख्यमन्त्री ~~घोषणा संख्या-224/2017 के अन्तर्गत मुख्यमन्त्री~~ घोषणा संख्या–165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूड़ मोटर मार्ग के किमी0 3.00, राजेन्द्र सिंह की दुकान से पुर्ण सिंह के घर धोरे की डांडी तक पी0सी0 द्वारा सडक मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु **0.4050 हैक्टेयर वन** भूमि वन विभाग से लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति–विकासनगर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी, विकासनगर की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त **0.4050 हैक्टेयर** भूमि जो कि वन विभाग के लांघा रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है। उपजिलाधिकारी, विकासनगर की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भू0सं0 वन प्रभाग देहरादून	जिलाधिकारी, देहरादून

पृ0स0   /   / दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

जिलाधिकारी, देहरादून

प्रपत्र– 30.2

परियोजना का नामः– <u>मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूमि किमी0 3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पुर्ण सिंह के घर घोरे की डांडी तक पी0सी0 द्वारा सडक मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण</u>

(लम्बाई–950 मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, – विकासनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर

मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूमि किमी0 3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पुर्ण सिंह के घर घोरे की डांडी तक पी0सी0 द्वारा सडक मार्ग हेतु (आरक्षित वनभूमि 0.4050 है0, सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 0.4050 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–विकासनगर) की दिनांक 16/11/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परामपरागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ...., उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1 श्री कौस्तुभ मिश्र उपजिलाधिकारी विकासनगर [signature] .... अध्यक्ष
2 श्री रंगनाथ पाण्डेय ......उप प्रभागीय वनाधिकारी [signature] 16.11.19 .... सदस्य
3 श्रीमती पूजा ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी [signature] ...... सदस्य/सचिव
4 श्रीमती पूजा ....बी0डी0सी0 क्षेत्र प्रशासक [signature] ......)सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूमि किमी0 3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पुर्ण सिंह के घर घोरे की डांडी तक पी0सी0 द्वारा सडक मार्ग के नवनिर्माण कार्य परियोजना हेतु 0.4050 है0 वन भूमि (0.4050 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि एवं 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) लोक निर्माण विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।

ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **विकासनगर** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूमि किमी0 3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पुर्ण सिंह के घर घोरे की डांडी तक पी0सी0 द्वारा सडक मार्ग के नवनिर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु **0.4050 है0** वन भूमि **(0.4050 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि एवं 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) लोक निर्माण विभाग**, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– विकासनगर,
जनपद–देहरादून

<u>प्रतिलिपिः–</u> जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– विकासनगर,
जनपद–देहरादून

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूमि किमी0 3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पुर्ण सिंह के घर घोरे की डांडी तक पी0सी0 द्वारा सडक मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण

(लम्बाई–950 मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– तौली

तहसील– विकासनगर जिला देहरादून

मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूमि किमी0 3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पुर्ण सिंह के घर घोरे की डांडी तक पी0सी0 द्वारा सडक मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 0.4050 है0, सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात कुल वन भूमि 0.4050 है0,(कुल भूमि में से ग्राम तौली के अन्तर्गत 0.00 है0 सिविल सोयम) वन भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तौली द्वारा दिनांक 20/11/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तौली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियेाजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम सचिव | ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत तौली, वि0ख0 वि0-नगर

प्रशासक, न्याय पंचायत-बाढ़ा, ग्राम पंचायत बाढ़ा, विकास खण्ड-विकासनगर

ग्राम प्रधान

(49)

प्रपत्र–30.4

दिनांक – 20/11/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– तौली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री रतनसिंह चौहान	
2	श्री पूरणसिंह	पूरण सिंह
3	श्री सुनिल कुमार	
4	श्री अंकित रावत	
5	श्री महेरसिंह	महेरसिंह
6	श्री गोपाल सिंह चौहान	गोपालसिंह
7	श्री सुरेश चौहान	
8	श्री दिनेश तोमर	दिनेश तोमर
9	श्री कुलदीप तोमर	कुलदीप तोमर
10	" सिन्हा सिंह राजगुरु	
11	" श्याम सिंह चौहान	श्याम सिंह चौहान
12	" यशपाल सिंह	यशपाल सिंह
13	" केशर सिंह नेगी	
14	" चंचल सिंह चौहान	
15	" रेपाल सिंह चौहान	रैपाल सिंह
16	" सरदार सिंह चौहान	सरदार सिंह
17	" अंकित सिंह चौहान	अंकित सिंह चौहान
18	" सन्तराम सिंह तोमर	सन्तराम
19	" भगत सिंह	भगतसिंह
20	" बुधराम	बुधराम
21	रवि धीमान	रविन्द्र सिंह
22	नाथू लाल	
23	पृथ्वी चौहान	पृथ्वी सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत तौली
वि०ख० वि०नगर

प्रशासक
ग्राम पंचायत तौली
विकास खण्ड–विकासनगर

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूड किमी0 3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पुर्ण सिंह के घर घोरे की डांडी तक पी0सी0 द्वारा सड़क मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण

(लम्बाई–950 मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– तौली (घोरे की डांडी)

तहसील– विकासनगर जिला देहरादून

मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूड किमी0 3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पुर्ण सिंह के घर घोरे की डांडी तक पी0सी0 द्वारा सड़क मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 0.4050 है0, सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात कुल वन भूमि 0.4050 है0,(कुल भूमि में से ग्राम घोरे की डांडी के अन्तर्गत 0.00 है0 सिविल सोयम) वन भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम **घोरे की डांडी** ग्राम पंचायत **तौली** द्वारा दिनांक 30/1/2020 —— को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तौली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

श्री प्रदीप तौली/श्री विजेन्द्र सिंह तौली ह0 ह0

ह0 अ0
17/8/20

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...तौली...
विकासनगर (देहरादून)
ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत तौली
विकासनगर देहरादून

प्रपत्र–30.1

दिनांक 30-1-2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– तौली (धौरे की डांडी)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री बाबू लाल	बाबूलाल
2	" भगत सिंह	भगत सिंह
3	" बलवीर	बलवीर सिंह
4	" संतराम	सन्तराम
5	" दिनेश तोमर	[illegible]
6	" दिनेश-चौहान	दिनेशसिंह
7	" रयपाल	रयपालसिंह
8	" केसर सिंह नेगी	[illegible]
9	" श्याम सिंह	श्यामसिंह
10	" गोपाल सिंह	गोपालसिंह
11	" आनन्द सिंह	आनन्दसिंह
12	" यशपाल सिंह	यशपाल सिंह
13	" महावीर सिंह	महावीर
14	" सिन्हा सिंह	[illegible]
15	" अनिल तोमर	[illegible]
16	" धर्म सिंह	D Singh
17	" सुनिल कुमार	[illegible]
18	" राजेन्द्र -चौहान	राजेन्द्रसिंहचौहान
19	" गुमान सिंह	गुमान सिंह
20	" पुना (पूरण सिंह)	पूरण सिंह
21	" खजान सिंह	[illegible]

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
देहरादून।

विषय:- ग्राम-सभा हौली भूड़ मोटर मार्ग ~~[illegible]~~ मी० 3.0 राजेन्द्रसिंह की दुकान से पूर्ण सिंह के घर थोरे की डांडी तक मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि उत्तराखण्ड सरकार से हमारी ग्राम सभा हौली भूड़ राजेन्द्रसिंह की दुकान से पूर्ण सिंह के घर थोरे की डंडी तक मोटर मार्ग सुधारीकरण के लिए स्वीकृत हुआ है। मार्ग के सुधारीकरण से क्षेत्र की जनता को सुलभ यातायात की सुविधा मिलेगी। सभी ग्राम वासियों को इस मार्ग के सुधारीकरण होने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अनुरोध है कि शीघ्र मार्ग का निर्माण कार्य आरम्भ कर क्षेत्रीय जनता को यातायात की सुलभता प्रदान करने की कृपा करें। ग्राम वासियों के हस्ताक्षर संलग्न हैं।

[signature]
ग्राम प्रधान [illegible]
[illegible] हौली
[illegible] विकासनगर